15.09.2018

विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

<u>द्वितीय पक्ष का कारण–पृच्छा</u>

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. यह है कि द्वितीय पक्ष गण ग्राम–बेहराजारा, थाना संख्या–64, थाना–सोनाहातु, ओ0 पी0 राहे आर0 एस0 खाता संख्या–194, प्लॉट संख्या–01 रकवा–5.12 एकड़ जमीन को बिहार सरकार के द्वारा स्व० पदमोहन महतो, श्री चन्द्र मोहन महतो एवं श्री सावना महतो सभी पिता–सुदर्सन महतो को बन्दोवस्त कर दिया गया है। जिसका वाद संख्या–60/1964–65 है। द्वितीय पक्षगण बन्दोवस्ती प्राप्त कर्ता चन्द्र मोहन महतो के वंशज है।

2. यह है कि द्वितीय पक्षगण के पूर्वज के द्वारा उक्त जमीन को अंचल अधिकरी सोनाहातु दाखिल–खारिज करवाये एवं अभी भी द्वितीय पक्षगण सरकार को मालगुजारी देते आ रहे है।

3. यह है कि उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष का शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे है। प्रथम पक्ष का उक्त जमीन पर किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा जिस कागजात के आधार पर दावा कर रहे है, वह गलत एवं बनावटी है। विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत प्रथम पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के बहस को सुनने,एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित खाता संख्या–195 प्लॉट संख्या–01 रकवा–39.25 एकड़ मध्ये 3.56 एकड़ जमीन प्रथम पक्ष को मेलेटरी मेन के आधार पर बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त हुआ है, के आधार पर दावा कर रहे है। द्वितीय पक्ष विवादित आर0 एस0 खाता संख्या–195 प्लॉट संख्या–01 रकवा–रकवा–5.12 एकड़ जमीन को बिहार सरकार के द्वारा स्व० पदमोहन महतो, श्री चन्द्र मोहन महतो एवं श्री सावना महतो सभी पिता–सुदर्सन महतो को बन्दोवस्त कर दिया गया है। जिसका वाद संख्या–60/1964–65 है। द्वितीय पक्षगण बन्दोवस्ती प्राप्त कर्ता चन्द्र मोहन महतो के वंशज है, के आधार पर दावा कर रहे है। विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में अपने–अपने कब्जे को लेकर विवाद है। जो स्वत्व/सीमाकंन का मामला प्रतीत होता है। विवादित जमीन को लेकर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद को बिना प्रभावी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष अंचल कार्यालय में आवेदन देकर अपने–अपने जमीन की मापी करा सकते है।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 12:51:38 +05:30
Location: 10.93.79.10

15/09/18
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

15/09/18
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।